

हिंदीतर प्रदेश में हिंदी भाषा एवं साहित्य के अध्ययन – अध्यापन के अवसर एवं चुनौतियाँ (तमिलनाडु राज्य के सन्दर्भ में)

पवना शर्मा शोध छात्रा हिंदी विभाग हैदराबाद विश्वविद्यालय , हैदराबाद तेलंगाना – 500046

Email. Pawanasharma98gmail.com

“ हमारी नगरी लिपि दुनिया की सबसे वैज्ञानिक लिपि है”

राहुल सांकृत्यायन

सार : ‘ हिंदीतर प्रदेश में हिंदी भाषा एवं साहित्य के अध्ययन – अध्यापन के अवसर एवं चुनौतियाँ’ शोधपत्र में हिंदीतर प्रदेश तमिलनाडु में हिंदी भाषा एवं साहित्य की शिक्षण की शुरुआत कब से हुई और हिंदी भाषा एवं साहित्य के अध्ययन – अध्यापन के क्या – क्या अवसर एवं चुनौतियाँ हैं | इन्हीं बिन्दुओं को केंद्र में रखकर बात की गई है | तमिलनाडु में हिंदी भाषा एवं साहित्य अध्ययन – अध्यापन की अवसर और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है और चुनौतियों से निबटने के लिए क्या – क्या प्रयास किये गये और आगे क्या करने की आवश्यकता है | इन बिन्दुओं पर बात किया गया है और नई शिक्षा नीति इसमें कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी |

हिंदी भाषा के विकास की एक लम्बी परम्परा है | हिंदी एक हजार वर्षों से मध्य देश की भाषा रही है और वर्तमान में भारत में सबसे अधिक बोली और समझे जानेवाली भाषा होने के साथ- साथ विश्व की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जानेवाली भाषा भी है |¹ वहीं अगर हिंदी शिक्षण की बात करें तो पाते हैं कि हिंदी शिक्षण का विकास क्रम इस प्रकार है –

- 1 हिंदी – शिक्षण का आरम्भिक काल (1000 से 1500 ई तक)
- 2 हिंदी – शिक्षण का मध्य काल (1501 से 1800 ई तक)
- 3 हिंदी – शिक्षण का आधुनिक काल (1801 से 1948 ई तक)
- 4 हिंदी शिक्षण का संवैधानिक काल (1949 से आज तक)

इस प्रकार से हिंदी शिक्षण के विकास क्रम को चार कालों में बांटकर देखते हैं |² स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अगर भारत में हिंदी शिक्षण की बात करें तो 1947 से अबतक हिंदी शिक्षण को तीन वर्गों में विभेष्ट किया जा सकता है –

- (1) भारत सरकार और हिंदी शिक्षण |
- (2) स्वयंसेवी संस्थाएं और हिंदी शिक्षण |
- (3) केन्द्रशासित क्षेत्र और हिंदी शिक्षण |

¹ शर्मा , रामलाल , हिंदी शिक्षण का इतिहास और विकास , केन्द्रीय हिंदी संस्थान , आगरा , प्रथम संस्करण : 1996 , पृष्ठ संख्या – 10

² वही , पृष्ठ संख्या – 43

- (1) भारत सरकार और हिंदी शिक्षण संबंधी नीतियाँ की बात करें तो राधाकृष्णन आयोग से लेकर नई शिक्षा नीति 2020 तक भाषा के विकास के लिए कई प्रयास किये गये | लेकिन नई शिक्षा नीति में जिस तरह से बात की गई है उस तरह से कभी प्रयास नहीं किया गया था | जिसका प्रमाण नई शिक्षा नीति के दिया गया है ³ “ भारतीय भाषाओं को समुचित स्थान और देखभाल नहीं मिल पाई जिसके तहत देश ने विगत 50 वर्षों में ही 220 भाषाओं को खो दिया है |”

इन आयोगों के अलावा अगर हिंदी सेवी संस्थानों की बात करें , तो हिंदी स्वयंसेवी संस्थाओं का नाम इस प्रकार से है –

स्वयंसेवी संस्थाएं और हिंदी शिक्षण

- (क) केन्द्रीय हिंदी निदेशालय , नई दिल्ली
- (ख) केन्द्रीय हिंदी संस्थान , आगरा
- (ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन
- (घ) नवोदय विद्यालय संगठन
- (ङ) अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ , नई दिल्ली
- (च) हिंदी साहित्य सम्मेलन , प्रयाग
- (छ) राष्ट्रभाषा प्रचार समिति – वर्धा
- (ज) हिंदी विद्यापीठ मुंबई
- (झ) दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा , मद्रास

- (2) केन्द्रशासित क्षेत्र और हिंदी शिक्षण

- (क) दिल्ली
- (ख) चंडीगढ़
- (ग) लक्ष्यद्वीप
- (घ) पांडिचेरी
- (ङ) दादरा नगर हवेली
- (च) दमन द्वीप

हिंदी शिक्षण के विकास से जुडी इन संस्थानों के माध्यम से हिंदी का विकास किया जा रहा है और इन संस्थाओं ने बहुत लम्बे समय से हिंदी की विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं | वर्तमान समय में जो हिंदी में विकास देखने को मिल रही है उसके पीछे इन्हीं आयोगों और संस्थानों और सरकारी नीतियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है | वहीं अगर दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य की बात करें , तो पाते हैं कि तमिलनाडु में हिंदी शिक्षण की शुरुआत कुछ इस प्रकार से है –

तमिलनाडु – तमिलनाडु में हिंदी भाषा एवं साहित्य के अध्ययन अध्यापन के पक्षधर आदरणीय राजगोपालाचारी , जी. कृष्णमूर्ति , नटेश अय्यर कामराज नाडार आदि रहे हैं | इनलोगों ने तमिलनाडु के लोगों को हिंदी सीखने के लिए प्रेरित किया था | अगर तमिलनाडु में हिंदी अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से देखे तो 1948 से 1962 तक का समय हिंदी

³ नई शिक्षा नीति 2020 , पृष्ठ संख्या - 87

शिक्षण की दृष्टि से स्वर्णयुग रहा था। तमिलनाडु में हिंदी शिक्षण के लिए काम करने वाली सबसे बड़ी संस्था 'दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा' है। जिसकी स्थापना 1937 महात्मा गाँधी ने किया था। यह संस्था तब से लेकर आज तक हिंदी के विकास के लगातार अपने कार्यों के प्रति प्रतिबद्ध है।

तमिलनाडु में हिंदी भाषा एवं साहित्य के अध्ययन – अध्यापन के अवसर की बात करें, तो पाते हैं कि निम्नलिखित अवसर हैं। जो इस प्रकार से है -

- (1) भाषायी एकता की दृष्टि से हिंदी की उपयोगिता।
- (2) संपर्क भाषा हिंदी सीख कर शेष भारत से संपर्क स्थापित करने के लिए।।
- (3) दक्षिण भारत के राज्यों की अलग –अलग भाषाएँ सीखने में आनेवाली समस्या के समाधान के लिए हिंदी अध्ययन की जरूरत होती है।
- (4) भारत के अन्य प्रान्तों में उपलब्ध रोजगार की संभावना अधिक होती है।

हिंदी भाषा एवं साहित्य के अध्ययन – अध्यापन के अवसर तो बहुत हैं लेकिन इसमें कई प्रकार की चुनौतियाँ भी शामिल है। जो इस प्रकार से है -

- (1) मातृभाषा का प्रभाव आदि कुछ कारणों से हिंदी अध्ययन – अध्यापन में समस्याएं आती है।
- (2) हिंदी शिक्षण सामग्री का अभाव होना।।
- (3) हिंदी पाठ्यपुस्तकों में भाषाई कौशल दक्ष का कम होना, भाषा पर कम महत्व तथा ध्यान, व्यावहारिक भाषा शिक्षण का अभाव आदि का अभाव।
- (4) हिंदी शिक्षण के लिए सिर्फ एक विधि ' व्याख्यान विधि' का प्रयोग किया जाता है। जबकि द्वितीय भाषा शिक्षण के अन्य शिक्षण विधियों का प्रयोग न होने के कारण भी हिंदी शिक्षण में समस्याएं उत्पन्न होती है।
- (5) अध्यापक केन्द्रित समस्या – हिंदी अध्यापक हिंदी ध्वनियों का मातृभाषा के अनुकूल उच्चारण करते हैं, जो विद्यार्थियों को घर पर सुनने को नहीं मिलता और हिंदी सीखने में समस्याएं आती है।
- (6) हिंदी लिखने का अभ्यास न कराये जाने के कारण ज्यादातर विद्यार्थियों को लेखन सम्बन्धी त्रुटियाँ अधिक होती है जिसके कारण हिंदी भाषा एवं साहित्य अध्ययन – अध्यापन में समस्याएं उत्पन्न होती है।
- (7) गतिविधि आधारित हिंदी कक्षा का न होना।
- (8) हिंदी के लिए कम समय – पाठ्यक्रम समय – सारणी में अन्य विषयों की कक्षा की अपेक्षा हिंदी के लिए कम समय रखा जाता है।
- (9) सरकारी नियमों के कारण उत्पन्न समस्याएं – संविधान द्वारा अंग्रेजी को प्रयोग में लाये जाने की छुट के कारण दक्षिण भारत में हिंदी का प्रयोग कम होने लगा और फिर उसके बाद हिंदी का स्थान धीरे – धीरे अंग्रेजी भाषा ने ले लिया।
- (10) हिंदी शिक्षण से सम्बंधित समस्याओं पर कम ध्यान दिया जाना।

इस प्रकार से हिंदीतर प्रदेश दक्षिण भारत के तमिलनाडु में हिंदी भाषा एवं साहित्य के अध्ययन – अध्यापन की चुनौतियाँ हैं, इन चुनौतियों के समाधान के लिए जो आवश्यक कदम उठाये जाने की जरूरत है | जो इस प्रकार की हो सकती है –

(1) द्वितीय भाषा शिक्षण के लिए निम्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए

(क) व्याकरण – अनुवाद – विधि

(ख) प्रत्यक्ष – विधि

(2) तमिलनाडु में हिंदी भाषा एवं साहित्य अध्ययन – अध्यापन में आनेवाली चुनौतियों से निबटने के निम्नलिखित प्रयास कर सकते हैं -

(क) हिंदी की कक्षा को गतिविधि आधारित बनाकर रोचक बनाकर |

(ख) व्याख्यान विधि के स्थान पर निर्माणवादी का प्रयोग करके |

(ग) हिंदी की कक्षा के लिए अन्य विषयों की कक्षा के बराबर करके |

(घ) हिंदी शिक्षण के लिए प्रयोग किया जानेवाला शिक्षण सहायक सामग्री की कमी को दूर करके |

(ङ) हिंदी पढ़नेवालों को भी अन्य विषयों के बराबर महत्व देकर |

(च) हिंदी शिक्षण से सम्बंधित शोध को बढ़ावा देकर भी इन चुनौतियों से निबटा जा सकता है |

(छ) हिंदी पढ़ने और पढ़ाने वालों को प्रोत्साहित करके |

(ज) हिंदी अध्ययन – अध्यापन का महत्व बताकर क्योंकि ज्यादातर विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ने का महत्व नहीं पता होता है | जिसके कारण भी हिंदी नहीं पढ़ना चाहते हैं |

(झ) कविता पढ़ाते समय भावों के साथ पढ़ना तथा अभिनीत करना चाहिए |

(ट) शिक्षण सरल बनाने का प्रयास करना चाहिए |

(ठ) विद्यार्थियों के परिवेश से जोड़कर और उदाहरण देकर समझाना चाहिए |

(ड) पाठ्यक्रम को रोचक और लचीलापन बनाना चाहिए |

(त) परीक्षा प्रणाली को लचीला बनाकर |

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में हिंदी शिक्षण का इतिहास काफी पुराना है और अगर तमिलनाडु राज्य की बात करें तो, इस राज्य में भी हिंदी भाषा एवं साहित्य अध्ययन – अध्यापन का कार्य बहुत पहले से हो रहा है, लेकिन हिंदी के प्रति उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना अन्य विषयों के प्रति या अंग्रेजी के प्रति है | जिसके कारण तमिलनाडु में हिंदी भाषा एवं साहित्य के अध्ययन – अध्यापन का कार्य तो चलता रहा | लेकिन जिस तरह की विकास की उम्मीद किया गया था, वो देखने को नहीं मिला पाया और आजादी के इतने वर्ष बाद भी हिंदी को अंग्रेजी के साथ लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है | बल्कि अंग्रेजी की विकास की तुलना में हिंदी अभी भी बहुत पीछे है और काफी सुधार करने की जरूरत भी है | हालाँकि नई शिक्षा नीति 2020 में इन सभी के लिए आवश्यक कदम उठाया गया है | और पहले से भी इस क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम कर रही है |

निष्कर्ष : निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि तमिलनाडु में हिंदी भाषा एवं साहित्य के अध्ययन – अध्यापन के कई अवसर हैं। लेकिन इससे ज्यादा चुनौतियाँ हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है। आजादी के बाद हिंदी के विकास के लिए कई आवश्यक कदम तो उठाया गया, लेकिन उसके अनुरूपण तो प्रयास किया गया और न ही लागू करने संबंधी कोई कठोर नियम बनाया गया। जिसके कारण ज्यादातर हिंदीतरा राज्यों ने इन नियमों को गंभीरता से पालन नहीं किया और जिसका असर यह हुआ कि हिंदी की स्थिति दिन- प्रतिदिन बिगड़ती चली गई और जिस प्रकार का विकास होना चाहिए था उस तरह से नहीं हो पाया। हिंदी पढने वाले विद्यार्थियों या शोधार्थियों की संख्या में मात्रात्मक वृद्धि तो देखने को मिली लेकिन गुणात्मक सुधार देखने को नहीं मिला। अपने ही देश में तमिलनाडु समेत कई राज्यों में हिंदी भाषा एवं साहित्य अध्ययन – अध्यापन का कार्य तो चलता रहा, लेकिन नाम मात्र का और इसके लिए भी हिंदी को लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है। अपने देश में जो स्थान हिंदी को मिलना चाहिए था, वह स्थान अंग्रेजी ने ले लिया। जिस हिंदी भाषा ने भारत की स्वतंत्रता में एकजुटता करने का कम किया था। उस भाषा को आज तक न्याय नहीं मिल पाया और इसी का असर है कि भारत में आज तक कोई भाषा राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। हालाँकि यह काम अभी भी हो सकता है और हिंदी को न्याय दिलाया जा सकता है। इसके लिए हमें नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कार्य करना होगा और तमिलनाडु जैसे राज्यों में हिंदी अध्ययन – अध्यापन के लिए जो आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है, वो उठाना होगा और हम सब को मिलकर कार्य करना होगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ

- 1 वर्मा, रामलाल, हिंदी शिक्षण का इतिहास और विकास, केन्द्रीय हिंदी संस्थान आगरा, प्रथम संस्करण : 1996, पृष्ठ संख्या – 10, 98
- 2 हिंदी शिक्षण : विविध आयाम (संपादक – मनोरमा गुप्त), केन्द्रीय हिंदी संस्थान, आगरा, प्रथम संस्करण : 1991 पृष्ठ संख्या – 23
- 3 गुप्त, मनोरमा, भाषा – शिक्षण सिद्धांत और प्रविधि, केन्द्रीय हिंदी संस्थान, आगरा, पुनर्मुद्रण : 2010, पृष्ठ संख्या – 103
- 4 रूहेला, डॉ सत्यपाल, भारतीय शिक्षा का समाजशास्त्र, राजस्थान हिंदी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, आठवां संस्करण : 2012, पृष्ठ संख्या – 75, 99
- 5 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, पृष्ठ संख्या – 87